WDT—1

60/c

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

कमांक: एफ.19(123)/निजभूस/एमओएपी/2009–10/2376–2587 दिनांक 10.12.2009

परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता(भू–संसा.),
जिला जलग्रहण विकास इकाई,
समस्त जिला परिषद(श्री गंगानगर जिले को छोडकर)

विषय :– आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण की गतिविधियों की समयबद्ध कियान्विति।

प्रसंग :– आयुक्तालय का पत्रांक 1822–2104 दिनांक 11.11.2009.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन परियोजनाओं की 6 प्रतिशत राशि का केन्द्रीयांश पृथक से आपके खाते में स्थानान्तरित कर दी गई है। विभाग द्वारा हस्तान्तरित की जा रही 6 प्रतिशत केन्द्रीयांश निम्न गतिविधियों में उपयोग में ली जावेगी।

क.सं.	मद	राशि का प्रतिशत
1	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	1 प्रतिशत
2	प्रवेश बिन्दु गतिविधि	4 प्रतिशत
3	क्षमता वृद्धि	1 प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा जारी कॉमन गाईड लाईन –2008 के पैरा 40 के अनुसार आई. डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं की कियान्विति हेतु प्रत्येक परियोजना में जलग्रहण विकास दल का गठन किया जावेगा। जलग्रहण विकास दल में न्यूनतम चार सदस्य कृषि, मृदा विज्ञान, पशुपालन, जल प्रबंधन, सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत निर्माण संबंधी विषयों के व्यावसायिक डिग्रीधारको को नियोजित किया जावेगा। दल की एक सदस्य महिला होगी। जलग्रहण विकास दलों का गठन 15 दिवस में आवश्यक रूप से कर आयुक्तालय को जलग्रहण विकास दल के सदस्यों का दूरभाष/मोबाईल नम्बर सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत कार्यों का चयन एवं कियान्विति पंचायत चुनाव के उपरान्त ग्राम सभा की सहमति से की जावेगी। जल ग्रहण विकास दल के सदस्यों से उनके संबन्धित विषयों का सर्वेक्षण प्रारम्भ करा दिया जाये।

आयुक्त

कमांक: एफ.19(123)/निजभूस/एमओएपी/2009–10/2376–2587 दिनांक 10.12.2009

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले को छोडकर)।
2. समस्त लेखाधिकारी जिला परिषद (श्री गंगानगर जिले को छोडकर)।
3. सहायक अभियन्ता(पी.आई.ए.), पंचायत समिति.................को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना प्रबन्धक से समन्वय कर जलग्रहण विकास का गठन सुनिश्चित करें।

आयुक्त